35

महिलाओं का सशक्तीकरण और मुक्ति

आपने देखा होगा कि वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण की चर्चा पूरे साल चली। आपने यह भी पढ़ा-सुना और देखा होगा कि अखबारों और टेलीविजन की रिपोर्ट में स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिये कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि महिला सशक्तिकरण क्या है? कई मित्रों व विद्यार्थियों ने पूछा कि इस सशक्तिकरण से पहले स्त्रियों के पास क्या कोई शक्ति नहीं थी? हमने सोचा कि क्या स्त्रियों के पास वे अधिकार नहीं थे जो पुरुषों के पास थे और एकाएक हमें कहा जाता है कि एक पूरा वर्ष स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिये दिया जा रहा है। इसे समझाइये। यह प्रश्न पूर्ण रूप से उचित है। इस पाठ में हम उन समस्याओं का प्रभावपूर्ण ढंग से निदानकर सकते हैं जिनका हमने पिछले अध्याय में विवेचन किया है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ लेने के बाद आप यह समझने के लायक हो जायेंगे कि :

- सशक्तिकरण और मुक्ति जैसे शब्दों का अर्थ;
- स्त्रियों के लिये सशक्तिकरण की आवश्यकता का विश्लेषण;
- स्त्रियों की मुक्ति का इतिहास जो 19 वीं शताब्दी से स्वतन्त्रता-प्राप्ति या 1947 जब हमें आजादी मिली तक का विश्लेषण;
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिये राज्य तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों उनका विवेचन;
- स्त्रियों के सशक्तिकरण में जो उपलब्धियां और कमियाँ रहीं का आलोचनात्मक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।

35.1 महिलाओं का सशक्तिकरण क्या है?

हम यह भली प्रकार जानते हैं कि भारत के संविधान ने पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिये हैं। हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि लैंगिक भेदभाव संविधान द्वारा निषिद्ध है। पिछले 175 वर्षों से ऐसे कई कानून पारित हुए हैं जो स्त्रियों को अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने के लिये हैं और इन कुप्रथाओं ने स्त्रियों को अपने शिकंजे में कस कर रखा है। परिणाम यह है कि कई स्त्रियाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक जेण्डर (लैंगिक) भेदभाव की शिकार रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि कानून द्वारा स्त्रियों की ऐसे दमन से मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक ऐसे वातावरण को तैयार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जो स्त्रियों का सशक्तिकरण करने में सहायक हो।

35.2 सशक्त स्त्री कौन है?

एक सशक्त स्त्री वह है जो:

- इस बात के लिये स्वतन्त्र है कि अपनी पसंदगियों को निश्चित करती है और अपने जीवन और समाज से सम्बन्धित फैसले स्वयं करती है।
- अपने परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए गए हिंसा या दुर्व्यवहार की शिकार नहीं है।
- वह अपने तरीके से आत्म सम्मान और गौरव को रख सकती है।
- वह ऐसी है जो विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों में समान पकड़ रखती है या अवसर का लाभ उठाने में सक्षम है।
- वह इस अवस्था में है कि उसकी प्रतिष्ठा और अधिकारों की सुरक्षा के लिये बनाए गए कानूनों का लाभ ले सकती है।

केवल सुयोगों और सुअवसरों का प्रावधान ही स्त्री के लिये पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि स्त्रियों को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वे इन सुयोगों को काम में ले सकें। इसके लिये हम एक दृष्टान्त देगें। छ वर्ष की लीना एक गाँव में रहती है। अपने अन्य दोस्तों की तरह वह गाँव की पाठशाला में जाना चाहती है। लेकिन उसका परिवार ऐसा नहीं चाहता। वह उसे घरेलू काम के लिये पास के शहर में भेजना चाहता है। भारत की नागरिक होने के नाते किसी भी अन्य लड़की की तरह लीना भी स्कूल जाना चाहती है लेकिन गरीबी और परिवार के दबाव के कारण उसे अपनी यह महत्वाकांक्षा छोड़ देनी पड़ती है। अपने अधिकार का लाभ लीना के सशक्तिकरण में काम नहीं आता। इसलिये सशक्तिकरण एक वह दशा है जिसमें लड़कियाँ और स्त्रियाँ

अपनी स्वतन्त्रता के अनुसार अपने अधिकार को व्यवहार में लाती हैं और यह अधिकार केवल सिद्धान्त में नहीं होता।

35.3 स्त्रियों को सशक्त क्यों बनाना चाहिये?

भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग स्त्रियों का है। ऐसी अवस्था में जब तक ऐसा पर्यावरण (वातावरण) नहीं बनाया जाता, कि स्त्रियाँ अपने सभी अधिकारों को काम में लाएँ और वे जब तक भय मुक्त तथा प्रतिबन्धों से स्वतन्त्र नहीं होतीं, भारत तरक्की नहीं कर सकता। जब स्त्रियाँ सशक्त हो जाती हैं तो एक मुक्त और जागृत समाज का निर्माण हो सकता है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियाँ अपने घर की चारदिवारी में सिमट जाने के लिये बाध्य हैं। यद्यपि उनकी मुक्ति के लिये कोई कानूनी रुकावटें नहीं हैं फिर भी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबन्ध उन्हें उनके विकास के लिये मिलने वाले अवसरों से वंचित रखते हैं और उन्हें विकास की ओर नहीं ले जाते।

मानव इतिहास ऐसे उदाहरणों का भण्डार है जिनमें स्त्रियों ने नेतृत्व किया है और अपने राष्ट्रों के भाग्य एवं लक्ष्यों को सही मार्ग प्रदान किया है। स्त्रियों ने घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में कार्य करके समाज को आगे ले जाने में अपना अनुपम योगदान दिया है। स्त्रियों का सशक्तिकरण उनके व्यक्तिगत जीवन और समाज में भी होना चाहिये। यहाँ पर हम युनाइटेड नेशन्स फण्ड फोर पोपुलेशन एक्टिविटिज (UNFPA) का उल्लेख करेंगे जिसने 1992 में विश्व की जनसंख्या के बारे में कहा है कि स्त्रियों की तरक्की टिकाऊ तब तक नहीं हो सकती जब तक स्त्रियाँ बच्चों के विकास के लिये अधिक योगदान नहीं करतीं। सच्चाई यह है कि स्त्रियों के सशक्तिकरण के अनेकानेक लाभ हैं और इससे मनुष्य मात्र को फायदा होता है। एक टिकाऊ विकास के लिये यह आवश्यक है कि स्त्रियों का सशक्तिकरण पर्याप्त रूप में होना चाहिये। स्त्रियों को योजनाओं में भागीदारी करनी चाहिये। उन्हें योजनाएँ बनानी चाहिये तथा विकास कार्यक्रम में मैनेजर, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक होना चाहिये।

जब स्त्रियाँ सशक्त होती हैं तब इससे समाज भी सशक्त होता है तथा उनका सरोकार केवल अपने परिवार से ही नहीं होता अपितु सम्पूर्ण समुदाय से होता है। जब स्त्रियों को उनके स्त्रोतों की ओर आमुख कर दिया जाता है तब वे अधिक लोगों के लाभ की बात सोचती हैं चाहे ये समूह परिवार हो या पड़ोसी। हम जिस दृष्टान्त को दे रहे हैं वह इस बात को स्पष्ट कर देगा।

सशक्त महिलाएँ एक सशक्त समाज का निर्माण करती हैं।

शान्तिग्राम नामक एक गाँव में वृद्ध महिलाओं ने छोटे बच्चों की देखभाल के लिये एक डे-केयर यूनिट का प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी छोटी बचतों को संग्रहीत करके इस सेन्टर के लिये एक किराये का मकान ले लिया। गाँव में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस केन्द्र के लिये कुछ पैसा दिया। इस गाँव में कई लड़कियाँ थीं। इन लड़कियों को स्कूल छोड़ देना पड़ता था क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई-बहिनों की देखभाल करनी होती थी। जब घर पर रहने वाले छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल हेतु केयर सेन्टर बन गया तब जो लड़कियाँ स्कूल छोड़ कर आ गयी थीं उन्हें पुनः स्कूल जाने का अवसर मिल गया। हुआ यह कि इन वृद्ध स्त्रियों को डे केयर में रहने वाले बच्चों के माता-पिता ने प्रतीक रूप में कुछ पैसा भी दे दिया। परिणामस्वरूप डे केयर की इन स्त्रियों को जीवन चलाने के लिये कुछ सहायता मिल गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि गाँव के स्कूल में जो 'ड्रॉप आउट' या उनकी संख्या और दर अर्थात स्कूल छोड़ने वाले बच्चे थे, घट गयी। एक ही साल में गाँव का जीवन बदल गया तथा स्कूल अपनी पूरी ताकत से चलने लगा और आने वाले चार वर्षों में शांति-ग्राम में हाई स्कूल और एक जूनियर कालेज चलने लगे। परिणाम यह हुआ कि शांतिग्राम की हर लड़की स्कूल व कॉलेज जाने लगी। अब देखिये कुछ औरतों आत्मनिर्भरता से जिनका सशक्तिकरण हो गया था के प्रयासों से गाँव की अन्य स्त्रियों व लड़कियों का भी सशक्तिकरण हो गया।

ऊपर का दृष्टान्त स्पष्ट रूप से यह बताता है कि स्त्रियों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। एक सशक्त स्त्री एक बढ़िया घर तथा एक बेहतर समाज तैयार करती है। अगर स्त्री स्वयं बंधनों में हैं तो वह दूसरों को कैसे सहायता दे सकती है। इसलिये एक स्त्री के पास उतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह अपने स्वयं के जीवन को स्वतन्त्र वातावरण में चलाये।

35.4 मुक्ति

सशक्तिकरण की अवधारणा का तात्पर्य उन दशाओं से हैं जहाँ स्त्रियों पर कोई दबाव या नियंत्रण नहीं होता। लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जो दबाव होते हैं उन्हें हटाना ही मुक्ति है। मुक्ति की प्राप्ति कानून या सामाजिक क्रिया के माध्यम से संभव होती है। कई बार सामाजिक क्रिया का परिणाम कानूनी क्रिया होता है।

दृष्टान्त 1 : विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पारित होने से विधवा विवाह में

जो कानूनी कठिनाइयाँ थीं वे हल कर दी गयीं। इस समय तक यदि कोई स्त्री यानी कोई विधवा विवाह करना चाहती थी तो उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं होती थी। आज यदि कोई विधवा विवाह करना चाहती है तो उसे परिवार या सामाजिक संगठनों द्वारा कानूनी तौर पर पुनर्विवाह करने से रोका नहीं जा सकता। इस तरह इस दृष्टान्त से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा स्त्री मुक्ति की कानूनी कठिनाई दूर कर देती है। इसका तात्पर्य यह है कि आज यदि कोई विधवा विवाह करना चाहती है तब कानून उसकी रुकावट में नहीं आता।

दृष्टान्त 2 : मथुरा नाम की आदिवासी लड़की का बलात्कार पुलिस थाने में हुआ था। वे पुलिस वाले जो इस कुकर्म के लिये उत्तरदायी थे उन्हें कोई दण्ड नहीं मिला। पुलिस हिरासत में होने वाले बलात्कार को अपराध के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया तथा सरकार पर दबाव बनाया कि इस तरह का पुलिस स्टेशन में किया गया कुकर्म अपराध हैं लेकिन जब स्त्री संगठनों ने इस तरह की गतिविधि को अपराध बताया तब इसे दण्डनीय बनाया गया। तब बलात्कार का कानून बदला गया। (पाठ 36.8 का भाग 36.8.2 पढें।)

पाठगत प्रश्न 35.1

रिक्त स्थान भरिये:

1. सन् ..... महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मनाया गया।
2. दमन से मुक्ति को ..... जाना जाता है।
3. जब महिला अपनी जिंदगी और निर्णय लेने की स्वतन्त्रता रखती है तो ऐसी महिला..... पहचानी जाती है।
4. एक सशक्त महिला ..... समाज का निर्माण करती है।

35.5 भारत में स्त्रियों की मुक्ति का संघर्ष : एक शुरूआत

भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना होने तक स्त्रियों की हालत दयनीय हो चुकी थी। नारी भ्रूण हत्या, सती, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबन्ध, बहुपति प्रथा और विधवा-पुनर्विवाह-निषेध जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ बहुत तेजी से बढ़ रही थीं। स्त्रियाँ सशक्तिकरण से दूर रखी गयी थीं। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार ने

Notes

भारत के लोगों की धार्मिक और सामाजिक स्थिति में अपनी तटस्थ नीति के अनुसार, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गयी तब ब्रिटिश राज न उन सजग भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रयासों को सकारात्मक प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया जिन्होंने ऐसे आन्दोलन चलाये जो स्त्रियों को बुराइयों के शिकंजे से बाहर निकाल सकें। 1829 और 1947 के बीच के युग में कई कानून बनाये गये जिनका लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों से स्त्री को मुक्त करना था। भारतीय समाज सुधारकों को अनेक कठिनाइयों और सामाजिक विरोधों का सामना करना पड़ा। परिवर्तन के विरोधी समाज ने सती प्रथा रोकने और विधवा विवाह इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। 1829 में सती प्रथा पर पाबन्दी लगायी गयी फिर भी सती प्रथा चलती रही। यद्यपि कानून के रूप में सती प्रथा पर 1829 में पाबन्दी लगा दी गयी थी फिर भी 2002 तक हमें सती होने के प्रमाण मिलते रहे हैं। सती जैसी अमानवीय प्रथा 21 वीं शताब्दी तक चलती रही है जब कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है तो आप अनुमान लगाएँ कि एक सौ पचहत्तर वर्षों पहले नारी-मुक्ति का यह कार्य कितना प्रबल संघर्षपूर्ण रहा होगा।

विधवा पुनर्विवाह स्त्रियों की मुक्ति का एक बहुत बड़ा कदम रहा है। यद्यपि सती पर प्रतिबन्ध थोड़ा बहुत प्रभावशाली रहा पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 सामाजिक विरोधों के कारण प्रभावशाली ढंग से नहीं लागू हो सका जो नारी-मुक्ति के संघर्ष में निश्चित ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सती पर रोक और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद ऐसा वातावरण बन गया जो स्त्री मुक्ति की तरफ ले जा सके।

नारी मुक्ति में सबसे बड़ी कठिनाई बाल विवाह था। बाल विवाह निषेध, 1929 ने लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की। यद्यपि लड़की के लिये 14 वर्ष की उम्र निर्धारित सही नहीं थी। वास्तव में 14 वर्ष की उम्र ऐसी है जो लड़की के स्कूल जाने की उम्र है। अत: विवाह की उम्र को बढ़ाना आवश्यक हो गया। जब विवाह की उम्र को बढ़ा दिया गया तब लड़कियाँ स्कूल जाने लगी। देखा जाय तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 स्त्रियों की मुक्ति का पहला अधिनियम था जो आजादी से पहले पारित किया गया और जिसने मुक्ति को संभव बना दिया।

19 वीं शताब्दी के अधिकांश समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया। ये सुधारक यह मानकर चले कि स्त्रियों को मुक्त करने के लिये शिक्षा अत्यधिक आवश्यक उपकरण है। स्कूलों का खुलना, विशेष करके लड़कियों के लिये, स्त्री मुक्ति

की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। जब स्त्रियों को यह अवसर मिल गया कि वे घर से बाहर जाने लगी और बाहरी दुनियाँ से उनका सम्पर्क जुड़ गया तब वे अशिक्षा के बंधन से मुक्त हो गयीं। यद्यपि कट्टर माता-पिता वास्तव में अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिये राजी नहीं थे। फिर भी शिक्षा ने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जहाँ स्त्री मुक्ति की दिशा स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगी।

19वीं शताब्दी का समाज सुधार आंदोलन और 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में किए गए यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रयत्नों ने भारत में ताकतवर महिला आंदोलन की जड़ों को मजबूत किया। यूरोप और उत्तरी अमेरीका के 19 वीं शताब्दी के महिला आंदोलनों ने भारतीय महिला आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया। आजादी के आन्दोलन ने लोगों में ऐसी चेतना, तथा वातावरण पैदा किया कि स्त्रियाँ घरों से बाहर आ गईं और अपने अधिकारों के लिये तैयार हो गयी। इस नारी-मुक्ति आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो देश की आजादी और दूसरा दमनकारी सामाजिक रीतिरिवाजों को समाप्त करना। पहले पहल पुरुषों ने स्त्रियों को समान अधिकार देने के लिये पेशकश की और फिर यह महिला आंदोलन औरतों के हाथ में आ गया। ई. 1880-1930 के बीच में सारे देश में स्त्री आंदोलन उभर कर आया। जब हिन्दुस्तान को आजादी मिल गयी तब देश एक ऐसी अवस्था में आ गया जहाँ यह आंदोलन मजबूत हो गया।

महिला आंदोलन क्या है?

महिला आंदोलन का मतलब उस आंदोलन से है जिसे पुरुषों और समूहों ने स्त्रियों को सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिये चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य पुरुष और स्त्री में समानता लाना था। महिला आंदोलन को महिला मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। महिला आंदोलन का विश्वास सक्रियतावाद या ऐसी क्रिया में हैं जो यह चाहता है कि स्त्रियों को समाज में उनका सही दर्जा मिले। महिला आंदोलन इस बात के लिये संघर्ष करता है कि स्त्रियों का दमन जो सामाजिक संस्थाओं द्वारा होता है समाप्त कर दिया जाये। यह एक दबाव समूह की तरह है (दबाव समूह का मतलब है ऐसी आवाजें और क्रियाएँ जो जननीति और जन विचारधारा को प्रभावित करें) और राज्य को यह कहता है कि नारियों को देश की राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधि कार हो। स्त्री आंदोलन का अंतिम लक्ष्य यह है कि वह ऐसे वातावरण को पैदा करें जिसके माध्यम से स्त्रियों को निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मान व सुरक्षा प्राप्त हो सके।

केरल का एक पोस्टर जिसे वहाँ की नेशनल कोर्डिनेंटिग कमेटी ने बनाया है इसका प्रयोग नेशनल कांफ्रेंस ने महिला आंदोलन कालीकट केरल में 28-31 दिसम्बर, 1990 के आयोजन में किया गया।

पाठगत प्रश्न 35.2

संक्षेप में उत्तर दीजिये

1. सती की घटना अभी हाल में किस वर्ष में दर्ज की गयी?
2. नारी आंदोलन किसे कहते हैं?
3. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ?
4. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अनुसार लड़के व लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गयी थी?

35.6 स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों के सशक्तिकरण के प्रयास

हाल में भारत में स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिये राज्य, स्वैच्छिक संगठन और स्त्रियों के समूह काम कर रहे हैं। स्त्रियों के स्वैच्छिक समूहों को स्वायत्त समूह भी कहते हैं। इन सब संगठनों के द्वारा स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिये जो प्रयास हो रहे हैं वे इस बात को मानकर चलते हैं कि भारतीय समाज में जेण्डर (लैंगिक) भेदभाव होता है और सभी को यह प्रयत्न करना चाहिये कि जो कुछ जेण्डर (लैंगिक) असमानता है उसे हटा देना चाहिये। इस सामान्य उद्देश्य को लेकर हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि कौन सी लैंगिक असमानताएँ हैं जिसे हटाना चाहिये। यदि समान अवसरों की प्राप्ति

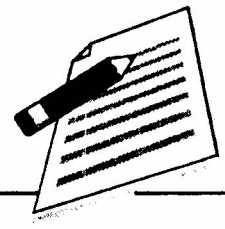

और भेदभाव मिटाने की संवैधानिक गारंटी को वास्तविक रूप देना है तो लैंगिक असमानताओं को पहचानने और दूर करने की दिशा में सतत प्रयास किए जाने चाहिए। स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्यों द्वारा किए गए प्रयास भिन्न हैं। अत: पहले दोनों की हमें अलग-अलग जाँच करनी चाहिये। इसके पश्चात् यह देखना चाहिये कि इस गैर बराबरी को हटाने के लिये राज्य ने क्या प्रयास किया है।

35.7 स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिये राज्य की पहल

कानून को सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन समझना चाहिये। स्त्रियों को दमनात्मक सामाजिक रीतिरिवाज से मुक्त करने का प्रयास भारत के स्वतन्त्र होने से पहले ही हो गया था। 1829 में जब सती निषेध अधिनियम पारित हुआ था तब से ही कई तरह के कानून बनाये गये थे जिनके माध्यम से स्त्रियों को सशक्त बनाया गया था। हमने यह भी देखा है कि इस अवधि में प्रचलित कानूनों को अधिक ताकतवर बनाने के लिये संशोधन किया गया। लेकिन केवल कानून से ही स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लोगों की जीवन पद्धति और उनके स्तर को ठीक करने के लिये लगातार विशेष प्रयास होने चाहिये। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा मुख्य रूप से ऐसे काम किये गये।

35.7.1 पंचवर्षीय योजनाएँ

भारत में योजना की प्रक्रिया 1951 में प्रारम्भ की गयी थी। इन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य उन रुकावटों को रोकना था जिनसे सारा समाज मुक्त हो जाये। वास्तव में पंचवर्षीय योजनाओं ने कतिपय वरीयता क्षेत्रों की पहचान की थी और इन क्षेत्रों में ऐसी योजनाएँ भी थी जिनमें स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार लाना भी एक थी। अब हम दसवीं पंचवर्षीय योजना को लागू कर रहे हैं और यह देखते हैं कि राज्य ने स्त्रियों के विकास के लिये क्या कार्य किया है। यह भी देखना चाहिये कि पंचवर्षीय योजनाओं में हमने किस नीति को अपनाया है और हमें क्या-क्या उपलब्धियाँ हुई हैं?

कल्याणकारी कार्यों से चलकर विकास और सशक्तिकरण तक

> यदि हम भारत की विकास योजनाओं को देखें तो स्त्रियों की यात्रा समाजकल्याण से लेकर विकास और सशक्तिकरण तक है। विकास के इस उपागम को जो समाज कल्याण से सशक्तिकरण तक है उसमें स्त्रियों की भूमिका को राज्य ने जिस तरह से बदलाव दिया है, इसका विश्लेषण करना चाहिये।

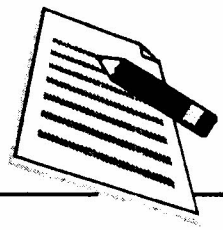

Notes

35.7.2 पहली से पाँचवी पंचवर्षीय योजना तक

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956) का इस सम्बन्ध में उद्देश्य स्त्रियों के कल्याण के लिये पर्याप्त सुविधाएँ देना थ। इसमें यह देखा गया है कि किस भाँति स्त्रियों के हित में वैध भूमिकाओं का सम्पादन परिवार और समुदाय में होता है। इस उपागम में इस बात पर जोर दिया गया कि स्त्रियों को जैसा कि राज्य उचित समझता है कल्याण की पूरी सुविधाएँ दी जायें। नारी कल्याण के लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विशेष संगठन बनाए गए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई इसकी शाखाएँ सभी राज्यों में हैं। ये बोर्ड कई कार्यक्रमों को चलाते हैं और इन सब कार्यक्रमों का केन्द्रीय उद्देश्य आर्थिक प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। कहना चाहिये कि दूसरे से लगाकर पाँचवी पंचवर्षीय योजना तक योजनाओं का केन्द्रीय दबाव पहली पंचवर्षीय योजना से भिन्न नहीं था। देखा जाय तो प्रारम्भिक वर्षों में ये योजनाएँ आर्थिक विकास पर केन्द्रित थी।

दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवी पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष अन्तर नहीं था। इन योजनाओं का उपागम उन नीतियों तथा प्रोग्रामों से युक्त था जो स्त्रियों के विकास से जुड़ी हुई थी। इस काल में नारी-विकास के लिए केवल दो योजनाएँ चलाई गई। महिलाओं के लिए अल्पकालीन और संक्षिप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा सामाजिक आर्थिक प्रोग्राम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के (1956-61) में चलाए गए। चौथी योजना (1969-74) में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास तथा रुकने हेतु लघु अवधि गृह भी बनाये गये।

समानता की ओर-एक ऐसी रिपोर्ट जो वास्तव में सरकार और स्वैच्छिक समूहों को सोचने के लिये बाध्य कर देती हैं

यह 1974 की बात है कि भारत में स्त्रियों की प्रस्थिति पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था समानता की ओर। इस रिपोर्ट ने पहली बार खुलासे से कहा कि भारत की सामाजिक संस्थाओं में स्त्रियों की प्रस्थिति पर गंभीरता से सोचना चाहिये। इस कमेटी ने यह भी बताया कि स्त्रियाँ पुरुषों से कई कदम पीछे हैं और उन्हें संविधान ने जो अधिकार दिये हैं उसमें वे पीछे हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर भारतीय संसद में बड़ी बहस हुई। संसद ने यह स्वीकार किया कि राज्य ने अब तक जो कुछ किया हैं वह केवल कल्याणकारी कार्यक्रम ही थे। स्त्रियों को लाभ तो मिला लेकिन वे पुरुषों के बराबर जोड़ी दार की तरह विकास कार्यक्रमों को आगे नहीं चला पाई।

समानता की ओर रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तब इसके बाद स्त्रियों के कल्याणकारी और

विकास ब्यूरो ने 1976 में समाजकल्याण मंत्रालय की देख रेख में चार पृथक वर्किंग समूह **स्त्रियों के रोजगार, स्त्रियों के लिये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, स्त्रियों की कृषि में भूमिका**, और **स्त्रियों के लिये ग्रामीण विकास संगठन** बनाये गये। यह भी तय किया गया कि ये सब संगठन अपनी पृथक-पृथक रणनीति बनायगें।

35.7.3 छठी पंचवर्षीय योजनाः समाज कल्याण से विकास की ओर

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय स्त्रियों के विकास में आया। अब तक जो कार्यक्रम थे उनकी प्रकृति जनकल्याण की थी- स्त्रियों को लाभ दो, उनका भला करो, उन्हें खुश रखो। लेकिन अब यह बदलाव विकास की ओर मुड़ गया। जनकल्याण और विकास में क्या अन्तर हैं? जनकल्याण देखा जाय तो स्त्रियों को लाभार्थी समझता है। इन कार्यक्रमों के अनुसार स्त्रियों को लाभ दिये जाते हैं। दूसरे शब्दों में जनकल्याण के अन्तर्गत स्त्रियों को कई योजनाओं द्वारा लाभ दिया जाता है जैसे कि सिलाई मशीन या निःशुल्क शिक्षा आदि। दूसरी ओर विकास का तात्पर्य कुछ और है। विक़ास वह हैं जिसमें स्त्रियाँ विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करती है। जनकल्याण कार्यक्रमों में इस भाँति अब यह कहा गया कि स्त्रियों को स्वयं विकास के ऐसे कार्यक्रम अपनाने चाहिये जो स्त्रियों का सर्वांगी विकास कर सकें। निम्न दृष्टान्तों को देखिये:

दृष्टान्त 1 : सरकारी योजना के अनुसार गाँव में एक स्त्री को सिलाई सिखाई गयी। वह मशीन चलाना तो सीख गयी लेकिन उसके पास ऐसे कोई आर्थिक साधन नहीं थे जिनसे वह सिलाई मशीन खरीद सकती या वह सिलाई की कोई छोटी दुकान खोल सके। इससे सिलाई के बारे में जो कुछ उसने सीखा था वह सब बेकार हो गया। इस स्त्री को कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य बनाया गया था। लेकिन यह सब व्यर्थ गया क्योंकि वह क्या चाहती थी, उससे किसी ने यह पूछा ही नहीं। निश्चित लक्ष्यों से संबंधित कल्याणकारी योजना का यह एक उदाहरण है।

दृष्टान्त 2 : स्त्रियों के विकास के कार्यक्रम के लिये धन की स्वीकृति देने से पहले गाँव की स्त्रियों की एक बैठक बुलायी गयी। इन स्त्रियों को कहा गया कि वे कुछ कार्यक्रम बनायें। इसमें वे यह देखें कि ये कार्यक्रम ऐसे होने चाहिये जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लायें। उनसे यह भी पूछा गया कि इन कार्यक्रमों को बढ़िया से बढ़िया तरीकों से कैसे लागू किया जाये। स्त्रियों ने यह कहा कि एक दूध सहकारी समिति और बांस की टोकरी बनाने को वरीयता दी जाये और इसके लिये प्रारम्भिक धन दिया जाये। इस बैठक ने यह भी तय किया कि बाजार में बिक सकें ऐसी टोकरियों को भी वरीयता दी जाये। इस मामले में जनकल्याण की भावना

Notes

नहीं थी। यह सरकार द्वारा दी गयी कोई योजना नहीं थी इसके विपरीत यह हुआ कि स्त्रियों को कहा गया कि किस कार्यक्रम में उनकी रुचि है और वे इस कार्यक्रम को देखभाल कैसे करेंगी। यह उपागम, वस्तुतः विकास का **उपागम** था।

छठीं पंचवर्षीय योजना (1985) के अन्त में स्त्रियों के विकास और बाल विकास को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत रख दिया गया। इस विभाग का यह कार्य था कि वह एक केन्द्रीय ऐजेन्सी की तरह स्त्रियों व बच्चों के बारे में नीति निर्धारित करें, तथा योजना व कार्यक्रम बनाये।

35.7.4 सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) ने इस बात पर जोर दिया कि स्त्रियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिये जाये। दो नई योजनाएँ आयीं। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार और जागरूकता से जुड़े हुए प्रशिक्षण स्त्रियों को देना था। यह रोजगार गाँव की गरीब स्त्रियों को धन कमाने के लिये था। तीन महत्वपूर्ण रिपोर्ट इसी सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बनायी गयीं जो ग्रामीण स्त्रियों को विकास कार्यक्रम के आमने-सामने कर सकें। ये कार्यक्रम निम्न प्रकार थे:

- श्रम शक्ति (महिलाओं के स्वरोजगार तथा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट)
- स्त्रियों पर राष्ट्रीय संदर्भ योजना (1998-2000)
- सार्क (SAARC) द्वारा दी गयी स्त्री विकास मार्ग पुस्तिका। बालिकाओं के लिये 1990-2000 के दशक को सार्क ने बालिकाओं के कल्याण का दशक घोषित किया जिसमें बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जोर दिया गया।

35.7.5 आठवीं योजना की विशिष्टताएँ

आठवीं योजना (1990-95) में दो महत्वपूर्ण संगठन बने। इनका उद्देश्य स्त्रियों का सशक्तीकरण करना और उन्हें आर्थिक विकास की ओर ले जाना रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है जो स्त्रियों के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अन्तर्गत बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य स्त्रियों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका काम मुख्य रूप से गरीब स्त्रियों को छोटी सहायता देना है।

आठवीं योजना में संविधान में क्रान्तिकारी संशोधन आया। इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में कुल स्थानों के एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होनी

चाहिये। 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा यह आरक्षण संभव हुआ है। इसे इतिहास में स्त्रियों के सशक्तिकरण की प्रजातान्त्रिक क्रान्ति कहते हैं। आज भारत में 40,000 से अधिक स्त्रियाँ स्वयं सेवी संस्थाओं में काम करती हैं। इस तरह की घटना कभी भी संभव नहीं थी जब तक संविधान में एक तिहाई सीटों का नारियों के लिए आरक्षण विषयक संशोधन नहीं किया गया होता।

पाठगत प्रश्न 35.3

एक शब्द में उत्तर दीजिये:

(1) पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गयी थी?

(2) पहली से पाँचवी पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्रियों के बारे में कौन सा उपागम अपनाया गया? उनके नाम लिखिए।

(3) स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिये 1990 में किस संगठन की स्थापना हुई?

(4) किस पंचवर्षीय योजना काल में 73 वाँ और 74 वाँ संविधान संशोधन किया गया?

35.7.6 विकास से सशक्तिकरण तक: नवीं पंचवर्षीय योजना

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के काल में स्त्रियों के विकास के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आये। इस काल में विकास कार्यक्रमों में पहला तो यह था कि स्त्रियों की विकास योजनाओं में स्वयं की भागीदारी निश्चित की गयी। इसके अनुसार स्त्रियों के विकास का लक्ष्य बनाया जाना चाहिये। लक्ष्य तो बना दिया लेकिन इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये पर्याप्त पर्यावरण का निर्माण नहीं किया गया जिससे स्त्रियों को अपने अधिकार व आजादी प्राप्त हो सके। अब तक स्त्रियाँ या तो विकास की लक्ष्य (टारगेट) थी अथवा भागीदार थीं। नवीं पचवर्षीय योजना ने सशक्तिकरण की अवधारणा को रखा। अब एक ऐसा वातावरण बना जिसमें स्त्रियों को यह अवसर दिया कि वे केवल कहने को ही आजादी का अनुभव न करे अपितु आजाद होने का अनुभव भी करे। तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे इस पर्यावरण में काम भी करें। भारत सरकार ने 2001 में सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति बनायी। इस नीति को नवीं योजना काल में लागू किया गया जो नारी सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकृत हुई और यह नीति नवीं योजना का भाग बन गयी। इस योजना ने केन्द्रीय और

Notes

राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि सभी क्षेत्रों में निर्धारित कोष और अन्य सुविधाओं का 30 प्रतिशत भाग नारी उत्थान के कार्यक्रमों पर खर्च किया जाए।

स्त्री सशक्ति वर्ष 2001

भारत सरकार ने 2001 का वर्ष स्त्री सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष में तीन प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कहा गया है। ये लक्ष्य हैं:

- स्त्रियों में इस तरह की व्यापक चेतना आनी चाहिये कि वे अपने मुद्दों को बड़ी क्रियाशीलता से रखें और उनमें भागीदारी करें। यह भागीदारी पुरुषों व स्त्रियों दोनों की होगी।
- इस बात की पहल करनी चाहिये और यह पहल स्त्रियों की होगी कि वे अपने स्त्रोतों का नियंत्रण स्वयं करें।
- ऐसे पर्यावरण को तैयार करें जो स्त्रियों में आत्म विश्वास और स्वायत्तता को बढ़ावा दे।

नवीं योजना के इस काल में कई नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये गये जिनमें स्त्री व पुरुष राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक जीवन और आर्थिक क्षेत्रों में समान भागीदारी करें।

दो महत्वपूर्ण एवं खास योजनाएँ जो स्त्रियों के लिये थीं 2001 में लागू की गयी। ये योजनाएँ थीं: स्वयंसिद्धा और स्वाधार।

स्वयंसिद्धा एक एकीकृत कार्यक्रम है जो स्त्रियों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित होकर उनके सशक्ति करण कार्य करता है। यह आशा की गई कि केन्द्र स्तर की सभी स्त्रियों से संबंधित स्कीमें ब्लॉक स्तर पर एकत्रित हों। सरकार ने स्वशक्ति प्रोजेक्ट को भी लागू किया जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह को गाँवों में आर्थिक सहायता देना है। स्वयं सहायता समूह अपने लोगों को छोटे-मोटे धन्धे चलाने के लिये सामान्य शाख भी देता है। स्वयं सहायता समूह केवल बचत बढ़ाने के क्षेत्रों में ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे अपितु गाँवों और परिवारों में महिलाओं के प्रति किए गए अत्याचारों से लड़ना सिखाने के क्षेत्रों में भी काफी काम कर रहे हैं।

स्वधार एक ऐसी योजना है जो उन स्त्रियों को पुनर्वास देती है जो स्त्रियाँ कठिन परिस्थितियों में होती है जैसे बेसहारा, विधवा, जेल से छूटी हुई कैदी, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित स्त्रियाँ, यौन अपराध की शिकार, इन सबके लिए पुनर्वास हेतु कार्यक्रम संरक्षण गृह बनाकर चलाए जाते हैं।

गतिविधि: किसी स्वयं सहायता समूह को वहाँ जाकर देखिये। इस समूह बैठकों में होने वाली गतिविधियों को देखिये और इन सदस्यों के साथ बातचीत कीजिये। समूह की गतिविधियों का विवरण 250 शब्दों में लिखिये।

35.7.7 दसवीं पंचवर्षीय योजना

10 वीं योजना (2002-2007)। अप्रैल 2002 में लागू की गयी। स्त्रियों के सशक्तीकरण पर एक कामकाजी समूह का निर्माण किया गया और इसका उद्देश्य यह था कि वह स्त्रियों के सशक्तिकरण पर एक मार्गदर्शिका तैयार करे जो भविष्य के कार्यक्रमों को निर्धारित कर सके। इस बुनियादी पेपर को बनाने के लिये निम्न सिफारिशे की गयीं:

- वैश्वीकरण ने आज के संदर्भ में जो चुनौतियाँ दी है इसका मुकाबला करने के लिये स्त्रियों को तैयार करना चाहिये।
- यद्यपि विकास नीति और कार्यक्रम के लिये सरकार के द्वारा स्त्रियों के हित में कई सशक्तिकरण के कार्यक्रम बनाये गए हैं लेकिन सभी स्त्रियाँ इससे लाभ नहीं उठा पाती क्योंकि उनके प्रति सामाजिक भेदभाव विद्यमान है। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास में भविष्य में पर्याप्त धन का निवेश होना चाहिये।
- पिछले 10 वर्षों में स्त्रियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण में धन का निवेश कम हो गया है। क्योंकि इससे नारी-विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है अत: इस क्षेत्र में आर्थिक निवेश बढ़ाया जाना चाहिए जिससे स्त्रियाँ के विकास को बढ़ावा मिले।

35.7.8 योजनाओं का पुनरावलोकन

जब से पंचवर्षीय योजनाएँ चली हैं अर्थात् 1951 से कई विकास कार्यक्रम बने हैं तथा स्त्रियों के सशक्तिकरण की योजनाएँ लागू की गयी हैं। लेकिन ये सब योजनाएँ जेण्डर (लैंगिक) भेदभाव को हटाने में कामयाब नहीं रही हैं। और यह नाकामयाबी पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में देखी गयी है। एक वर्ष के स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिऐ या बालिकाओं के लिये एक दशक का समर्पण मात्र लागू करना स्त्रियों की मुक्ति को अपने आप नहीं ला सकेगा। इन सब कार्यक्रमों को हमें प्रकार्यात्मक रूप से करने के लिये समर्पित भावना से काम करना पड़ेगा। हमें यह देखना चाहिये कि एक तरफ तो पुरुष व स्त्री में जो दूरी है उसे हटाना पड़ेगा और दूसरी ओर एक समूह की स्त्रियों की दूसरे समूह की स्त्रियों से भिन्नता को दूर करना होगा। आज वास्तव में हमें एक क्रिया योजना की आवश्यकता है। यह क्रिया योजना केवल बात करने से नहीं आती इसके लिये स्वयं स्त्रियों को कुछ काम करना चाहिये। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है इसकी हमें प्रतीक्षा है।

पाठगत प्रश्न 35.4

निम्न के जोड़े बनाइये

A	B
1. स्त्रियों का सशक्तिकरण वर्ष	स्वयं सहायता समूहों का कार्य
2. स्वयंसिद्धा	2001
3. स्वाधार	स्त्रियों के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में 30 प्रतिशत राशि का निवेश
4. दसवीं योजना का प्रारंभ	कठिन स्थितियों में स्त्रियों के लिये कार्यक्रम
5. स्त्रियों की घटक योजनाएँ	2002

35.8 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा स्त्रियों का सशक्तिकरण

भारत में महिला मुक्ति आंदोलन स्त्रियों के सशक्तिकरण के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है। आजादी से पहले कुछ अखिल भारतीय संस्थाएँ बनीं जिन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाया। स्वैच्छिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण संस्थाएँ अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस, भारत स्त्री मण्डल, महिलाओं का भारतीय महिला ऐसोसिएशन, महिलाओं की राष्ट्रीय कोंसिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन संगठनों ने, स्त्रियों की गैर बराबरी पर कई मुद्दें उठाये लेकिन इनके विचार और काम ऐसे नहीं थे जो पितृ सत्तात्मक प्रश्न पर अपनी अंगुली उठा सकें। यह अवश्य है कि इन संगठनों ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और स्त्रियों के लिये मताधिकार का मुद्दा अवश्य उठाया। संगठन उच्च वर्गों और मध्यम वर्गों की महिलाओं द्वारा स्थापित किये गये थे और ये वर्ग ही इन संगठनों का संचालन करते थे। लगभग 1940 के दशक में जबकि आजादी की लड़ाई अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गयी थी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने इस प्रश्न को उठाया था, "आज हमारे पुरुष अपने राजनीतिक अधिकारों के लिये विदेशी ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी पत्नियों, बहनों और लड़कियों को उनके अधिकार दे दिये हैं। विदेशी सरकार से लड़ने वाले इन पुरुषों ने अपने ही मांस, रक्त को क्या सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय दे दिया है।" इसका मतलब यह हुआ कि अगर ब्रिटिश सरकार से हमें आजादी मिल जाये तब क्या अनिवार्य है कि स्त्रियों को भी दमन से मुक्ति मिल जायगी। यद्यपि आजादी के पहले स्त्री आंदोलन जनता को संगठित नहीं कर पाया पर यह सब होते हुए भी निश्चित रूप से जब भारत को

आजादी मिली तब भारत में नारी आंदोलन ताकत से उभरकर आया।

स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि आजादी के बाद भी 25 वर्ष स्त्री संगठन के उद्भव पर लग गये। जब हमने 1975-1985 में स्त्रियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय दशक मनाया तब हमने कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्त्रियों द्वारा संगठित कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया। देश के विभिन्न भागों में कई महिला समूह उभर कर आये और उन्होंने बुनियादी प्रश्नों को जो जेण्डर (लैंगिक) असमानता के थे, उठाया और यह प्रयास किया कि स्त्री पुरुष की असमानता समाप्त हो जाये। ऐसी स्त्रियों के समूह कहलाने लगे और उन्होंने किसी राजनीतिक दल के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं किया। दूसरी तरफ हुआ यह है कि स्त्रियों के इन संगठनों ने एक ऐसा मंच तैयार किया जिन्होंने अपनी रणनीति द्वारा समाज में दमन के जितने भी स्वरूप हैं उनका मुकाबला करने को कहा। इन स्वायत्त संगठनों का विश्वास केवल ज्ञापन देने, प्रदर्शन करने अथवा अपने हित में कार्य हेतु नेताओं से मिलने में तनिक भी नहीं था। यद्यपि पढ़ी-लिखी मध्यम वर्ग की महिलाओं ने इन संगठनों को बनाने में पहल की, उन्होंने श्रमिक वर्ग की महिलाओं, आदिवासी महिलाओं, कृषक व दलित महिलाओं की भी समस्याओं को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया। नारियों के आंदोलन की एक और उपलब्धि यह है कि इसमें सभी जातियों व वर्गों की स्त्रियों की सम्मिलित भागीदारी थी। स्त्रियों के समूहों ने अपना हाथ अन्य प्रगतिशील आंदोलनों जैसे कि विद्यार्थी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और मूल्य वृद्धि विरोधी आंदोलन कारियों से हाथ मिलाया।

35.8.1 व्यवहार द्वारा सशक्तिकरण

महिला समूह इस तथ्य में विश्वास रखते हैं कि सभी सामाजिक संस्थाओं में जहाँ कहीं स्त्रियों के खिलाफ भेदभाव होता है, अन्याय होता है, दबाव होता है, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिये। ये स्त्री समूह किसी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के साथ सौदेबाजी नहीं करते, जहाँ स्त्रियों की मान-मर्यादा जुड़ी हुई है। ये सम्पूर्ण रूप से द्वारा सरकार दी गयी धनराशि के भरोसे नहीं हैं। ये समूह यह भी जानते हैं कि स्त्रियाँ सशक्त तब तक नहीं हो सकती जब तक बुनियादी जेण्डर (लैंगिक) भेदभाव स्त्रियों के प्रति उनके परिवार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीतिक संस्थाओं में व्याप्त है उसे हटाया नहीं जाता। स्त्री समूहों की दो रणनीतियाँ हैं जिसके द्वारा स्त्रियों का सशक्तिकरण हो सकता है: जागृति और कार्य। स्त्री समूहों ने ऐसे मुद्दे उठाये हैं जो रणनीति का एक भाग हैं। इसमें दहेज, बलात्कार, परिवार में दुर्व्यवहार, मद्यपान, यौन उत्पीड़न और कई अन्य। ये समूह बहुत क्रियाशील उन स्थानों पर हैं जहाँ वे कार्यरत हैं। आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित लोग इनसे संपर्क करते हैं।

इनका सम्पर्क पुलिस, सरकारी विभाग, नियोजक, राजनीतिज्ञ आदि के साथ होता है। और इनकी मांग यह होती हैं कि स्त्रियों को न्याय मिलना चाहिये और इनके सम्मान को बढ़ाना चाहिये।

स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार को नुक्कड़ नाटक में बताते हुए

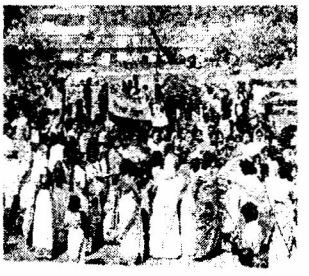

महिला दिवस पर स्त्रियों की बैठक

स्त्री समूहों की शक्ति को सरकार और उसकी एजेन्सियों के स्वीकार कर लिया है। सरकार इन समूहों को सलाह देने के लिये आमंत्रित करती है ताकि स्त्रियों के मसले भली भांति सुलझ सकें। विभिन्न समूहों में जागृति लाने के लिये स्त्रियों के ये समूह सहभागी बनाये जाते हैं। सरकार अपनी नीतियों द्वारा स्त्रियों का सशक्तिकरण करती है। स्त्री संगठन ऐसे जागृति कार्यक्रमों में हाथ से हाथ मिलाकर लड़ते हैं लेकिन ये ऐसा तब करते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाये कि उनके बुनियादी सिद्धान्तों के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

पाठगत प्रश्न 35.5

बताइये कि निम्न कथन सही हैं या गलत:

(1) अर्न्तराष्ट्रीय महिला दशक 1975-1985 में मनाया गया था। सही/ गलत

(2) स्वायत्त महिला समूह न तो पुलिस के साथ अन्त: क्रिया करते हैं और न वे सरकार के एक अंग ही हैं। सही/ गलत

(3) महिला आंदोलन केवल शहरी महिलाओं के लिये हैं। सही/ गलत

(4) स्त्रियों का सशक्तिकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। सही/ गलत

35.10 स्त्रियों का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है और न कि अन्तिम स्थिति

भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्त्रियों के उत्पीड़न का कोई 3000 वर्षों का इतिहास है

लेकिन स्त्रियों को इस त्रासदी से मुक्त करने का समय 175 वर्ष ही है। जिस तरह से स्त्रियों के दमन की समस्याएँ हैं, वे विविध हैं और इनसे मुक्त करने के लिये हमें एक प्रतिबद्ध और निरन्तर चलने वाला प्रयास करना होगा तभी हम स्त्रियों के सशक्तिकरण के लक्ष्य को पा सकेंगे। सशक्तिकरण एक प्रकार की रोशनी है जिसे हमें अपने हरेक दिल में प्रकाशित करना है तब ही स्त्रियों का यह आंदोलन जन-जन का आंदोलन हो सकेगा। न तो राज्य और न स्त्रियों के समूह ही इन सब समस्याओं को सुलझा सकेंगे। स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिये हमें एक जागरूक समाज की आवश्यकता है और इसलिये हम सबको एक होकर हम कुछ भी और कहीं भी हों, इस आंदोलन को गति देना है।

आपने क्या सीखा

पिछले 175 वर्षों में हमने स्त्रियों को सामाजिक रीति-रिवाज और प्रथाओं से मुक्त होने के लिये कई कानून पास किये हैं।

- स्त्रियाँ मुक्त तब हो सकती हैं जब वे एक ऐसे पर्यावरण में रहे जिसमें उन्हें दिये गये अधिकारों का लाभ मिल सके।
- एक सहजतापूर्ण वातावरण का निर्माण ही नारी-सशक्तिकरण का लक्ष्य है।
- एक सशक्त स्त्री वह है जो अपने जीवन से सरोकार रखने वाले मसलों पर स्वयं स्वतन्त्र निर्णय ले सके। परिवार और सामाजिक संस्थाओं में उसे हिंसा, मारपीट और दुर्व्यवहार से स्वतन्त्रता मिल जाये।
- स्त्रियों का सशक्त होना आवश्यक है। इस वजह से वे अपने जीवन को न केवल संपन्न बनायेगी अपितु सम्पूर्ण समाज को भी जागृत कर सकेगी।
- स्त्रियों के मुक्त होने का मतलब उन पर होने वाले सभी प्रकार के दमन की समाप्ति होता है। लेकिन अगर स्त्रियों को दमन से मुक्त होना है तब उन्हें सशक्त भी बनाना होगा।
- समाज सुधार आंदोलन जो 19 वीं शताब्दी में हुए उन्होंने बहुत बड़ी सीमा तक स्त्रियों को दमनात्मक रीतिरिवाजों से मुक्त कर दिया। ये आंदोलन थे सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध आदि अन्य अनेक कुरीतियों से मुक्ति प्राप्त करना।
- प्रगतिशील कानून एकाएक लोगों की अभिवृतियों में परिवर्तन नहीं ला सके। यद्यपि स्त्रियाँ कानून की दृष्टि से मुक्त हो गयी लेकिन सही अर्थों में अब भी उनकी मुक्ति में कई बाधाएँ हैं।

- भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राज्य और स्वायत्त नारी संगठनों ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रयत्न किये।
- स्त्रियों की मुक्ति में राज्य ने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा पहल की। अब तक नौ पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो गयी है और 10 वीं योजना अप्रेल।, 2002 में प्रारम्भ हुई है।
- पहली पंचवर्षीय योजना ने स्त्रियों के मुद्दों और समस्याओं को कल्याणकारी उपागम द्वारा हल करने का प्रयास किया। इस उपागम का तात्पर्य कल्याणकारी कार्यक्रम बनाना था। इसमें स्त्रियों की भागीदारी आवश्यक नहीं रही थी।
- छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थापित किया गया।
- सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना ने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज और दो महत्वपूर्ण आयोग महिला विकास के लिये बनाये।
- नवीं पंचवर्षीय योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव विकास से बढ़कर सशक्तिकरण पर आ गया। ई. 2001 का वर्ष स्त्री सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मनाया गया और इस वर्ष सशक्तिकरण के कई कार्यक्रम चलाये गये। इस सिलसिले में स्वर्यसिद्धा और स्वाधार जैसे मुख्य कार्यक्रम चलाये गये। महिला स्वयं सहायता समूह स्थापित हुए जिसका मतलब है स्त्रियों के सशक्तिकरण का मुख्य स्त्रोत। ये समूह देश के कई गाँवों में काम कर रहे हैं और उन्होंने स्त्रियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित किया है।
- सम्पूर्ण भारत में अगणित स्वायत्त महिला समूह काम कर रहे हैं और ये समूह स्त्रियों पर जो दमन हो रहा है इसके लिये लड़ रहे हैं। सच्चाई यह है कि स्त्रियों के लिये आर्थिक और मानवीय स्त्रोतों का निर्माण भी ये समूह ही कर रहे हैं।
- स्त्रियों का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है और न कि अन्तिम स्थिति। यह बराबर चलती रहेगी। प्रत्येक हृदय में इस सशक्तिकरण के प्रकाश को प्रज्वलित करना है।

पाठान्त प्रश्न

निम्न प्रश्नों का 200-300 शब्दों में उत्तर दीजिये:

(1) 19 वीं शताब्दी में स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन की कौन-कौन सी मुख्य उपलब्धियाँ रहीं?

(2) स्त्रियों के सशक्तिकरण में पंचवर्षीय योजनाओं की जो भूमिका रही है उसकी समालोचनात्मक पड़ताल कीजिये।

(3) स्त्री आंदोलन में स्वायत्त महिला समूहों की भूमिका समझाइये।

(4) यह बताइये कि किस प्रकार स्वयं सहायता समूह ग्रामीण स्त्रियों को सशक्त बना सकते हैं।

शब्दावली

(1) **स्वायत्त महिला समूह**- महिलाओं के समूह जो राज्य के नियंत्रण से स्वतन्त्र हैं और जिन्हें राज्य की कोई वित्तीय सहायता नहीं है। वे स्त्रियों के मसलों को महिलावादी दृष्टि कोण से देखते हैं।

(2) **मुक्ति**- किसी भी प्रकार की दासता या दमन के स्वरूप से मुक्त करना या होना।

(3) **सशक्तिकरण**- अपनी पसंदगी तय करना, निर्णय लेना और सभी सामाजिक संस्थाओं में दुर्व्यवहार से मुक्त होना।

(4) **पंचवर्षीय योजनाएँ**- विकास योजनाएँ जो योजना आयोग ने बनायी हैं और जिनका उद्देश्य भारतीय समाज का सर्वांगी विकास करना है।

(5) **समानता की ओर**- स्त्रियों की प्रस्थिति पर 1974 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट जो यह बताती है कि स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं। संविधान ने उन्हें जो समान अधिकार दिये हैं उनका लाभ वे नहीं उठा पातीं।

(6) **नारी मुक्ति आंदोलन**- पुरुषों और समूहों द्वारा स्त्रियों को सामाजिक बुराइयों के पंजे से मुक्त करने का संघर्ष और पुरुष और स्त्री में समानता लाने का प्रयास।

(7) **73 वें और 74 वें संविधान संशोधन**- भारत के संविधान में किये गये संशोधन जिनके द्वारा स्वशासित संस्थाओं जैसे पंचायत और नगर निकायों में स्त्रियों के लिये एक तिहाई स्थानों का आरक्षण।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

35.1

(1) 2001 (2) मुक्ति

(3) सशक्त महिला (4) प्रबुद्ध (जागरूक)

35.2

(1) 2002

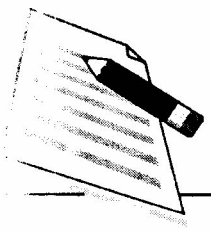

Notes

(2) स्त्रियों की मुक्ति के लिये संघर्ष

(3) 1856

(4) लड़कियों के लिये 14 वर्ष और लड़कों के लिये 18 वर्ष।

35.3

(1) 1951 (2) कल्याण

(3) राष्ट्रीय महिला आयोग (4) आठवीं पंचवर्षीय योजना।

35.4

(1) स्त्रियों के सशक्तिकरण का वर्ष-2001

(2) स्वयं सिद्धा - (स्वयं सहायता समूह का तन्त्र)

(3) स्वाधार- (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिये कार्यक्रम)

(4) दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ- 2002

(5) महिला घटक योजना- स्त्रियों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये प्राप्त धन का 30 प्रतिशत भाग पृथक रखना।

35.5

(1) सही (2) गलत (3) गलत (4) सही